पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता का विशलेषणात्मक अध्ययन

*डॉ. हीरालाल मीणा

सार

किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र सदैव से ही लोकतंत्र की नींव रही है भारतीय लोकतंत्र आत्मक शासन व्यवस्था में पंचायती राज की व्यवस्था इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को लेकर आती है। इतना ही नहीं यह अब तक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसे वर्गों जिनकी भागीदारी निम्न स्तर पर रही है को भी सक्रिय सहभागिता के लिए अवसर उपलब्ध करवाती है। भारतीय समाज में पंचायती राज्य के आगमन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से परे न केवल स्वयं की अपितु शासन एवं प्रशासन के निर्णय में भागीदार बनने के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। पंचायती राज निश्चित ही महिलाओं की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नींव का पत्थर रहा है।

परिचय

भारतीय जनमानस मी पंचायती राज्य की अवधारणा कोई पहली बार नहीं आई इसका उद्भव वैदिक युग से ही देखने को मिलता है जहां सभा एवं समिति नाम की संस्थाओं द्वारा शासन प्रशासन का कार्य संचालित किया जाता था यह सभा और समिति आधार स्तर पर पंचायती राज स्वरूप को लेकर आने वाली प्रथम संस्थाएं थी। मोरी कॉल मी यही पंचायती राज्य का स्वरूप हमें ग्राम सभा के रूप में देखने को मिलता है जिसका मुखिया ग्रामिक हुआ करता था।

आधुनिक समय में पंचायती राज का आगमन अट्ठारह सौ अस्सी के दशक में हुआ इस समय भारत के गवर्नर जनरल लार्ड रिपन थे जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है इन्हीं के समय जिला बोर्ड ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामों को केंद्रीय स्थान प्रदान किया गया था तथा संविधान निर्माताओं के हृदय में भी गांव के विकास एवं विकेंद्रित प्रशासनिक प्रणाली को विकसित करने के लिए दृष्टिकोण था। इसी का परिणाम था कि भारत के संविधान के भाग 4 में

राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में प्रावधान किया गया था।

संविधान निर्माता उनकी भावनाओं का अनुसरण करते हुए भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था जिसे धीरे-धीरे संपूर्ण भारत द्वारा अपनाया गया।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए इससे पूर्व ही प्रयास प्रारंभ हो चुके थे राजस्थान में सर्वप्रथम 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया गया था जिसके आधार पर फरवरी 1954 को पंचायतों के प्रथम बार निर्वाचन संपन्न हुए।इसके पश्चात 1959 को राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम भी लागू किया गया जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान था इसके अंतर्गत 1959 में चुनावों का आयोजन किया गया।

राज्य सरकारों की उदासीनता के कारण अपने प्रारंभिक चरण में पंचायती राज संस्थाएं अधिक सशक्त नहीं हो सकी तथा वह धीरे-धीरे अपने अस्तित्व को खोने लगी।ऐसा इसलिए भी था क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को जिन विषयों का स्थानांतरण किया जाना था उन विषयों में अधिकांश वे विषय थे जो राज्य सूची के विषय हैं तथा उन्हें राज्य सरकारें अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानती थी।

केंद्रीय स्तर पर इसके पश्चात अनेक समितियों का गठन हुआ जिसमें मुख्य तहत सादिक अली अध्ययन दल, गिरधारी लाल व्यास समिति, के संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, थुंगन समिति, एम एल सिंघवी समिति प्रमुख थी।

इन सभी समितियों के विभिन्न निष्कर्षों के आधार पर केंद्रीय सरकार के द्वारा 1989 में 64 वे संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया परंतु केंद्रीय सरकार इसमें विफल हो गई। यह प्रयास 16 सितंबर 1991 को उन्हें किया गया जब 72 वा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया इस विधेयक के आधार पर 73 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ जिसे 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और एक अधिसूचना के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू कर दिया गया।

इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 246 से 246ण

कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए साथ ही पंचायत राज संस्थाओं को प्रदान किए जाने वाले विषयों से संबंधित एक अनुसूची जिसमें 29 अधिकार थे 11वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ी गई।

अध्ययन का महत्व

पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव है यह वह आधार हैं जिसके ऊपर संपूर्ण भारतीय लोकतंत्र खड़ा हुआ है इस ढांचे में महिलाओं की सहभागिता बहुत हद तक इसकी सफलता को निर्धारित करने वाले पैमानों में सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। अतः महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन किया जाना नितांत ही अपरिहार्य हो जाता है। समाज के उपेक्षित वर्गों में महिला वर्ग अब तक ऐसे वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाता रहा है जो राजनीति अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलगाव रखता था इस वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था ओं ने एक अवसर उपलब्ध करवाया है जिसके माध्यम से वे आर्थिक एवं राजनीतिक विषयों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का प्राथमिक उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करना है।

इस प्राथमिक उद्देश्य के अतिरिक्त शोध पत्र अपनी में अनेक उप उद्देश्यों को भी सम्मिलित करता है ये उप उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. उन कारणों को खोजने का प्रयास करना जिनकी वजह से महिलाएं राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता से बचती रही हैं।
3. उन तत्वों को खोजने का प्रयास करना जिनके माध्यम से महिलाओं को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका प्रदान की जा सके।
4. पारिवारिक स्तर पर महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भूमिका का विश्लेषण करना।

शोध का रीति विधान

प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार की सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

प्राथमिक सूचनाओं के अंतर्गत उन तथ्यों एवं सूचनाओं को सम्मिलित करने का प्रयास हुआ है जो ग्रामीणों पंचायती राज जनप्रतिनिधियों आधार स्तर पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जुटाई गई है।

वहीं दूसरी और द्वितीयक संबंधों में पूर्व में प्रकाशित हुए लेखों पुस्तकों का सहारा लिया गया है।

प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से समंक संग्रहित करने के उपरांत यह प्रयास हुआ है कि इनमें उन घटकों को खोजा जाए जो परस्पर विरोधाभासी हैं और विरोधाभासी घटकों को दूर करते हुए एक सर्वमान्य समाज विकसित करने के उद्देश्य से यह शोध पत्र लिखा गया है।

प्राप्तियां

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में जिस पंचायती राज के ढांचे को अपनाया गया उसमें महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243D के द्वारा पंचायत राज की विभिन्न निर्वाचन ओं में श्रेणी वार महिलाओं को एक तिहाई स्थान आरक्षित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया है। इस संविधान संशोधन को राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा लागू किया गया है इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों में धारा 15 के अंतर्गत महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना सुनिश्चित किया गया है। प्रारंभ में महिलाओं का यह प्रतिनिधित्व विभिन्न वर्गों की एक तिहाई सीटें थी जिसे 11 अप्रैल 2008 को एक अध्यादेश के माध्यम से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है इस अध्यादेश को बाद में विधानसभा में प्रस्तुत कर 25 जून 2008 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए महिलाओं के स्थानों को 50% सुनिश्चित किया गया है जिसे बाद में संसद द्वारा भी अभीस्वीकृति प्राप्त हो गई है।

इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन से भरे जाने वाली समस्त पदों के 50% पदों पर महिलाओं का अधिकार है।

पंचायती राज संस्थाओं की प्रारंभ की समय महिला जनप्रतिनिधि अत्यंत संकोची स्वभाव वाली रही थी वे अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलने में संकोच महसूस करती थी और अधिकांश स्थानों पर यह देखा गया था कि महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजन राजकीय कार्य संपादित कर रहे थे जो अत्यंत विचित्र स्थिति का निर्माण करने वाली थी। ऐसी विकट स्थिति ने केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ में थी अपितु समाज की पिछड़े और उपेक्षित वर्ग से आने वाली महिलाओं के साथ भी रही।

वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं को 25 से अधिक वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अपने कार्यकरण के दौरान यह संस्थाएं धीरे-धीरे परिपक्व होती चली जा रही है। महिलाओं ने अब अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित कर लिया है।महिलाएं आप पहले से अधिक जागरूक होकर सामने आई है तथा अन्य स्थानों पर भी पुरुष जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक उत्सुकता एवं समर्पण की भावना से कार्य करने में जुटी हुई है।इतना ही नहीं अब यह अपने परिजनों के सहयोग से भी बचने लगी है एवं स्वयं अपने निर्णय करने लगी हैं।

ऐसा देखने में आया है कि ऐसे स्थान जहां शिक्षा का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च स्तर पर था वहां महिलाओं ने अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया है।अतः जैसे-जैसे समाज में शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता फैलती चली जाएगी महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हो पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी सुनिश्चित करने लगेंगी।

सुझाव

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए हमें निम्न आधारभूत कदमों को लेना होगा

1. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा और इस शिक्षा व्यवस्था में हमें समाज के पिछड़े उपेक्षित और महिला वर्ग को अधिक प्राथमिकता के साथ जोड़ना होगा जिससे यह वर्ग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति बोध गम्य हो सके।
2. महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम इनके आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देना होगा इसके लिए हमें स्वयं सहायता समूह एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से लघु एवं कुटीर उद्योगों का सहारा लेना होगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी महिलाएं जो पर्याप्त रूप से शिक्षित है तथा आत्मनिर्भर हैं को आगे बढ़कर महिला वर्ग में चेतना का विकास करना होगा।
4. समय-समय पर पंचायती राज संस्थाओं एवं राज्य सरकारों को पंचायती राज तंत्र की प्रति समाझ एवं उसकी कार्यप्रणाली से सभी को परिचित करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाई जानी चाहिए।
5. वैधानिक रूप से ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति 50% अनिवार्य कर दी जाए। ऐसा किए जाने पर महिलाएं घरों से बाहर निकलने लगेंगी।

6. पंचायती राज संस्थाओं में लगे सरकारी कर्मचारियों में भी महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए ऐसा किए जाने पर महिला जनप्रतिनिधियों के लिए पंचायत घरों में पुरुषों के साथ कार्य करने में असहजता महसूस नहीं होगी।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाएं अभी अपनी परिपक्व यात्रा पर हैं धीरे-धीरे इनमें विकास और सुधार होता चला जा रहा है यदि हम केवल अतीत और वर्तमान की बात करें तो महिलाओं की सहभागिता अत्यंत निम्न स्तर पर है जिसमें अभी बड़े पैमाने पर सुधार करने होंगे।

*व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत का संविधान एक परिचय डीडी बसु
2. भारतीय शासन एवं राजनीति बीएल फडिया
3. भारतीय शासन एस एम शईद
4. पंचायती राज के प्रारंभ की 50 वर्षों पर प्रकाशित स्मारिका संपर्क एवं जन सूचना निदेशालय राजस्थान सरकार
5. राजस्थान इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन
7. राजस्थान पत्रिका
8. दैनिक भास्कर
9. अमर उजाला